भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 548
23.07.2026 को उत्तर के लिए

पहाड़ी पर्यटन स्थलों पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

548. श्री विवेक के. तन्खाः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, सिक्किम और पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में पहाड़ी पर्यटन स्थलों पर हर साल कुल कितना ठोस कचरा पैदा होता है और उसका कितना प्रतिशत वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्कृत किया जाता है;

(ख) सबसे हालिया सर्वे के अनुसार, ऐसे पहाड़ी पर्यटन स्थलों की संख्या कितनी है जहाँ कचरा प्रबंधन का काम करने वाली अवसंरचना उपलब्ध नहीं है; और

(ग) पहाड़ी पर्यटन क्षेत्रों के लिए स्वच्छ भारत या किसी अन्य योजना के तहत कितनी धनराशि आवंटित की गई है और उससे क्या परिणाम हासिल हुए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026, संबंधित राज्य सरकारों/शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों/थोक अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों द्वारा, जैसा कि नियमों के तहत परिभाषित किया गया है, देश में ठोस अपशिष्ट के पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ प्रबंधन के लिए वैधानिक ढांचा प्रदान करता है। नियमों में अन्य बातों के अलावा स्रोत पर ठोस कचरे को गीले कचरे, सूखे कचरे, सैनिटरी कचरे और विशेष उपचार-योग्य कचरे में चार-स्तर पृथक्करण का आदेश दिया गया है और थोक कचरा उत्पन्न कर्ताओं की स्पष्ट परिभाषा निर्धारित की गई है, जहां उनके पास विस्तारित थोक कचरा उतपन्न करने की जिम्मेदारी को पूरा करने का अधिदेश प्राप्त है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्पन्न कचरे को एकत्र, परिवहन और संसाधित किया जा रहा है। संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान सहित केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के सभी चरणों की ऑनलाइन ट्रैकिंग में नियमों और निगरानी का प्रावधान है। नियमों में पहाड़ी क्षेत्रों और द्वीपों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नियमों का विशेष प्रावधान हैं। इन नियमों के कार्यान्वयन में राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ-साथ शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों और थोक अपशिष्ट उत्पन्न कर्ताओं की प्रमुख भूमिका और जिम्मेदारियों का निर्धारण किया गया है।

जबकि राज्य सरकारें मुख्य रूप से स्वच्छता के लिए जिम्मेदार हैं, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 (एसबीएम यू 2.0) और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को केंद्रीय सहायता प्रदान करता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए केंद्र और राज्य के बीच 90:10 के फंड शेयरिंग पैटर्न के साथ पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी क्षेत्र के राज्यों को योजना दिशानिर्देशों के अनुसार धन आवंटित किया जाता है। एसबीएम-यू 2.0 और एसबीएम (जी) के तहत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम और पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों को आवंटित राज्यवार धनराशि अनुलग्नक में दी गई है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) द्वारा प्रदान दी गई सूचना के आधार पर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के कार्यान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट संकलित और प्रकाशित करता है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम और पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों सहित सभी राज्यों में ठोस अपशिष्ट उत्पादन, संग्रह और ठोस अपशिष्ट के उपचार का विवरण शामिल है। वार्षिक रिपोर्ट सीपीसीबी की वेबसाइट पर उपलब्ध है: https://cpcb.gov.in/status-of-implementation-of-solid-waste-rules/

अनुलग्नक

एसबीएम-यू 2.0 के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए राज्य-वार निधि का आवंटन (*करोड़ रुपये में*)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एसबीएम-यू 2.0 के एसडब्लूएम घटक के अंतर्गत मिशन आवंटन
1.	अरूणाचल प्रदेश	33.20
2.	असम	118.30
3.	हिमाचल प्रदेश	36.50
4.	जम्मू और कश्मीर	131.70
5.	मणिपुर	23.90
6.	मेघालय	16.80
7.	मिजोरम	22.20
8.	नागालैंड	38.54
9.	सिक्किम	6.20
10.	त्रिपुरा	23.00
11.	उत्तराखंड	89.00

वर्ष 2024-25 में एसबीएम(जी) के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए राज्य-वार निधि का आवंटन

(करोड़ *रुपये में*)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन - केंद्रीय हिस्सा (2024-25)
1.	अरुणाचल प्रदेश	14.82
2.	असम	356.15
3.	हिमाचल प्रदेश	44.17
4.	जम्मू और कश्मीर	245.00
5.	मणिपुर	2.00
6.	मेघालय	107.64
7.	मिजोरम	17.68
8.	नगालैंड	27.59
9.	सिक्किम	14.79
10.	त्रिपुरा	75.22
11.	उत्तराखंड	48.68
